ालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा

कमरानं. 09, कलेक्ट्रेट परिसर, कलेक्ट्रेट, नयापुरा, कोटा, राज.:—0744—2325871

GCMS NO.-2023/179

मिसलनम्बर— 22 / 2023

1.भरतरी कश्यप पुत्र श्री कालूराम जाति भोई आयु 66 वर्ष निवासी कोटड़ी कोटा राजस्थान

प्रार्थी।

बनाम

1.कलमेश पुत्र श्री भरतरी कश्यप जाति भोई आयु 40 वर्ष निवासी सुलभ कॉम्पलेक्स के पास भोई मोहल्ला कोटडी कोटा

2.श्रीमति बसंती बाई पत्नि कमलेश आयु 35 वर्ष जाति भोई निवासी सुलभ कॉम्पलेक्स के पास भोई मोहल्ला कोटड़ी कोटा

—:निर्णय:—

(भरण—पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम के तहत् प्रार्थना—पत्र।)

उपस्थिति:—

दिनांक 18/11/2[illegible]

1.श्री पवन कुमार चौहान प्रार्थी अधिवक्ता।

2.श्री अजय श्रृंगी अप्रार्थीगण अधिवक्ता

भरण—पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम के तहत् पत्रावली निर्णय प्रार्थना—पत्र वास्ते पेश हुई। पत्रावली में निहित दस्तावेज यथा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना—पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थना—पत्र में प्रार्थीपक्ष द्वारा निवेदित सक्षेंपित तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी वाकै सुलभ काम्पलेक्स के पास भोई मोहल्ला कोटडी कोटा राजस्थान का निवासी है,प्रार्थी की आयु 66 वर्ष की है, सिनियर सिटीजन है,तथा अप्रार्थीगण प्रार्थी के पुत्र व पुत्रवधु है। प्रार्थी का एक मकान दो मंजिला सर्वे नं 443 वाकै सुलभ काम्पलेक्स के पास भोई मोहल्ला कोटडी कोटा राजस्थान कोटा पर स्थित है. उक्त मकान का आवंटन/अधिकार पत्र कार्यालय नगर निगम कोटा द्वारा कमांक 1794 दिनाक 16.3.2002 से जारी किया गया है, प्रार्थी अपने स्वअर्जित आय के उक्त मकान का मालिक काबिज है। अप्रार्थीगण जो प्रार्थी के पुत्र व पुत्रवधु है, जो कि प्रार्थी के उक्त मकान में प्रथम फलोर पर एक कमरा मे निवास करते है। अप्रार्थीगण पति पत्नी है,जिनका आचरण व्यवहार प्रार्थी व उसकी पत्नी गुडडी बाई के साथ अच्छा नहीं है, आये दिन दोनो पति पत्नी गाली गलोच करते है, जीना दुश्वार किया हुआ है, आये दिन लड़ाई झगडा गाली गलोच करते है, ओर प्रार्थी को ही उक्त मकान से बेदखल करने पर आमादा है, इसी आशय से अप्रार्थीगण प्रार्थी के घर मे गृह क्लेश रखते है, प्रार्थी व उसकी पत्नी का जीना दुश्वार कर रखा है, प्रार्थी ने इसकी शिकायत पुलिस थाना गुमानपुरा कोटा एवं 17.3.2023 को पुलिस अधीक्षक शहर कोटा को प्रेषित की लेकिन पारिवारिक मामला समझकर कोई सुनवाई नही होती है, इससे उक्त अप्रार्थीगण के हॉसले बुलन्द हो रहे है, ओर यह लोग नित प्रतिदिन प्रार्थी व उसकी पत्नी व परिवार के अन्य सदस्यो के साथ नाजायज

★ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ★ कोटा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

गाली गलोच कर लडाई झगडा करते है, माता पिता के साथ मारपीट तक पर आमादा जाते है,ओर प्रार्थी व उसकी पत्नी को घर से बेदखल करने की धमकीया देते है.जबकि अप्रार्थीगण उक्त मकान पर कोई हक अधिकार नही है,उक्त मकान प्रार्थी की स्वअर्जित आय का है। अप्रार्थीगण प्रार्थी की व उसकी पत्नी की कोई सेवा सुश्रुषा भी नही करते है, ना ही कोई खाना पीना ही करते है, ना ही हारी बीमारी मे कोई देखभाल ही करते प्रार्थी उक्त कारण से अप्रार्थीगण को अपने उक्त मकान से व अपनी समस्त चल अचल सम्पति से बेदखल कर देना चाहता है, ताकि प्रार्थी व उसकी पत्नी अपनी बुजुर्ग अवस्था में शांतीपूर्वक निवास कर सके,ओर उनका बुढापा सुख शांती से व्यतीत हो सके,इसलिए यह प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण को प्रार्थी के उक्त मकान सुलभ काम्पलेक्स के पास भोइ मोहल्ला कोटडी कोटा राजस्थान से व उसकी समस्त चल अचल सम्पति से बेदखल करने के आदेश प्रदान करे, एवं अप्रार्थीगण को अवैधानिक कृत्य के लिए दंडित किया जाये।

प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण की तलबी हेतु नोटिस प्रेषित किये गये। अप्रार्थीगण की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित मकान वाके सुलभ कॉम्पलेक्स के पास भोई मोहल्ला कोटडी कोटा का सर्वे नमं0 443 एवं नगर निगम कोटा द्वारा जारी उक्त मकान का आवंटन पत्र कमांक 1794 दिनांक 16.03.2002 स्वीकार है तथा उक्त मकान प्रार्थी का स्वअर्जित सम्पति नही है बल्कि प्रार्थी व अप्रार्थी कम 1 की पैतृक सम्पति है। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में दो मंजिला मकान वाकै सुलभ कॉम्पलेक्स के पास भोई मोहल्ला कोटडी कोटा को अपनी स्वयं की स्वअर्जित सम्पति बतायी गयी है जो कि पूर्णतः मिथ्या तथ्य है, प्रार्थी के पिता व अप्रार्थी कम 1 के दादा स्वं0 कालूराम जी सरकारी विभाग मे ड्राईवर के पद पर कार्यरत थे तथा उक्त मकान स्व0 कालूराम जी का है, स्व0 कालूराम जी द्वारा वर्षो पूर्व उक्त मकान की भूमि पर कब्जा कर अपने परिवार के निवास हेतु मकान बनाया गया था उक्त मकान मे स्व0 कालूराम जी का पूरा परिवार संयुक्त परिवार के रूप मे निवास करता चला आ रहा है इस प्रकार उपरोक्त मकान प्रार्थी व अप्रार्थी कम 1 की पैतृक सम्पति है। प्रार्थी द्वारा उपरोक्त मकान के आवंटन पत्र के सम्बन्ध मे वर्ष 2002 मे नगर निगम कोटा मे आवेदन किया गया था, इस आवेदन प्रक्रिया मे प्रार्थी द्वारा 10/– रूपये के स्टाम्प पर स्वयं का एक शपथ पत्र दिनांक 25.01.2002 को आलेखित कर नगर निगम कोटा मे प्रस्तुत किया गया था जिसमे पैरा कम 1 मे प्रार्थी द्वारा आलेखित किया गया कि "मे कोटडी भोई मोहल्ला सुलभ कॉम्पलेक्स स्थित जगह पर 50 वर्षो से काबिज चला आ रहा हूँ तथा मै मेरे पूरूखो की जमीन पर ही काबिज चला आ रहा हूँ"। प्रार्थी द्वारा अपने स्वयं के शपथ पत्र दिनांक 25.01.2002 में उपरोक्त मकान जिसका सर्वे नम्बर 443 है को अपनी पेतृक सम्पति बताकर नगर निगम कोटा से आवंटन पत्र की प्रक्रिया का पूर्ण कर आवंटन पत्र करमांक 1794 दिनांक 16.03.2002 प्राप्त किया गया इस कारण उपरोक्त मकान प्रार्थी की स्वअर्जित सम्पति नही होकर प्रार्थी व अप्रार्थी कम 1 की पेतृक सम्पति है , इस प्रकार विधि द्वारा सुस्थापित सिद्धांतो के अनुसार अप्रार्थी कम 1 को उसकी पेतृक सम्पति से बेदखल करने का आअधिकार प्रार्थी को प्राप्त नही है। प्रार्थी सेवानिवृत सरकारी कर्मचारी है, जिनको प्रतिमाह करीब 20,000/–रूपये से 25,000/–रूपये पेंशन प्राप्त होती है, प्रार्थी के कमशः छः सताने जिनमे तीन पुत्रिया नीरू, सुशीला व सोना है, तीनो पुत्रिया विवाहित है तथा अपने ससूराल मे निवास करती है , इसके अतिरिक्त प्राथी के

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

पुत्र कमशः कमलेश (अप्रार्थी कम 1 स्वय) ओम प्रकाश व गिरधारी है ,अप्रार्थी कम 1 प्लेट नोकरी करता है, जिससे उसे 15,000/– रूपरये आमदनी होती है जो कि अप्रार्थी कम 1 के स्वयं के परिवार के पालन पोषण मे खर्च हो जाती है। प्रार्थी के अन्य पुत्र ओम प्रकाश बैक मे कर्मचारी है जो कि प्रार्थी के साथ निवास करता है तथा प्रार्थी का तीसरा पुत्र गिरधारी भी प्रार्थी के साथ ही निवास करता है जो कि कुछ भी काम धंधा नही करता है तथा घर से ही अवैधानिक रूप से शराब बेचने का कार्य करता है जिससे मोहल्ले व समाज मे परिवार की प्रतिष्ठा धूमिल होती है तथा घर का माहोल भी खराब रहता है इसी बात को लेकर अप्रार्थी कम 1 ने अपने भाई गिरधारी को कई बार समझाया लेकिन वह अपनी उक्त आदतो मे सुधार नही लाता है तथा अप्रार्थी कम 1 से आये दिन विवाद करता रहता है , अप्रार्थी कम 1 व उसके भाई ओम प्रकाश के मध्य भी न्यायालय 1 दक्षिण कोटा मे सिविल वाद चल रहा है, इसी बात को लेकर ओम प्रकाश भी गिरधारी का साथ देता है तथा दोनो अप्रार्थी कम 1 व उसकी पत्नि से रंजीश रखते है, इस बारे मे कई बार अप्रार्थी कम 1 ने प्रार्थी से भी बात की परंतु प्रार्थी अपने दोनो अन्य पुत्रो ओम प्रकाश व गिरधारी का साथ देते है तथा अप्रार्थी कम 1 व उसकी पत्नी को भला बुरा कहते है। अप्रार्थी कम 1 की तीनो संताने अध्यनरत है , घर मे बिगडते माहोल से बच्चो की पढाई पर असर पड़ रहा है , प्रार्थी द्वारा परिवार मे वैचारिक मतभेदो के चलते अप्रार्थी कम 1 को उसके परिवार सहित उपरोक्त परिसर में अलग निवास करने हेतु कह गया इस पर अप्रार्थी कम 1 अपनी पत्नि व तीनो बच्चो सहित उपरोक्त परिसर मे पृथक निवास करने लगा। लेकिन अप्रार्थी कम 1 के दोनो भाई उपरोक्त वैचारिक मतभेदो की वजह से अप्रार्थी कम 1 व उसकी पत्नि से रंजीश रखने लगे तथा इनके द्वारा आये दिन अप्रार्थी कम 1 व उसकी पत्नि के साथ अभद्र व्यवहार किया जाता रहा है कई बार अप्रार्थी कम 1 के साथ उसके दोनो भाईयो ने मारपीट भी की है इसके सम्बन्ध मे अप्रार्थी कम 1 के द्वारा पुलिस में कार्यवाही भी की गयी फिर भी दोनो के व्यवहार मे कोई परिवर्तन नही आया है, एक दिन अप्रार्थी कम 1 के भाई गिरधारी की पत्नि द्वारा उसकी पुत्री के साथ बुरी तरह मारपीट भी की गयी, उपरोक्त घटनाओ से अप्रार्थी कम 1 की पत्नि व उसकी तीनों संताने प्रतिदिन भयमय जीवन व्यतीत कर रहे है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि प्रार्थी स्वयं नशे के आदी है दिन भर भांग के नशे मे रहते है तथा घर के मुखिया होने के नाते भी अपने स्वविवेक से नही सोच कर उल्टा अपने दोनो पुत्र ओम प्रकाश व गिरधारी के बहकावे मे आकर अप्रार्थी कम 1 के विरूद्ध उपरोक्त झूठे तथ्यो के आधार पर कार्यवाही कर रहे है। प्रार्थी की बहुत इज्जत करता है तथा उन्हे कई बार समझाने का प्रयास भी किया परंतु प्रार्थी समझने को तैयार नही है। एवं अप्रार्थी क्रम 1 व उसके परिवार को निरंतर परेशान कर रहै है, इस प्रकार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मे अप्रार्थी कम 1 व उसके परिवार को बेदखल करने के जो आधार बताये गये है वो झूठे व बेबुनियाद तथ्यों पर आधारित होने से उपरोक्त प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज फरमाया जाये।

प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी कम 1 की ओर से अधिवक्तागण द्वारा अपने अपने प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों को दोहराया।

उपरोक्तानुसार बाद बहस पत्रावली में निहित दस्तावेजों का अवलोकन एवं बहस में दर्शित तथ्यों पर मनन किया गया। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत मकान पट्टा कमलेश कश्यप के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण के पास स्वयं का अपना मकान उपलब्ध है। पत्रावली में संलग्न नगर विकास न्यास कोटा द्वारा जारी पट्टा संख्या 1734 दिनांक 16.03.

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि उपरोक्त वर्णित मकान कोटड़ी भोई मोहल्ला कोटा की स्व–अर्जित सम्पत्ति हैं, जिसमें प्रार्थी अपनी इच्छानुसार जिसे रखना चाहे, उसको रखने हेतु स्वतंत्र हैं। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत भरण पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम को स्वीकार कर अप्रार्थीगण को आदेशित किया जाता है कि वे अन्दर 15 योम प्रार्थी के स्वामित्व वाले एक मकान दो मंजिला सर्वे नं 443 वाकै सुलभ काम्पलेक्स के पास भोई मोहल्ला कोटडी कोटा को खाली कर देवें। उक्त आदेश की पालना नही करने की स्थिति में तहसीलदार लाडपुरा को आदेश की पालना हेतु कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त किया जाता है तथा दौरानें बेदखली कार्यवाही किसी प्रकार की शांतिभग ना हो इसलिये थानाधिकारी गुमानपुरा कोटा को आदेशित किया जाता हैं कि मय जाप्ता मौके पर उपस्थित रहें।

उक्त निर्णय आज दिंनाक: 18/11/25 को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

गजेन्द्र सिंह
उपखण्ड अधिकारी
कोटा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा